नए साल में आपको मिलेगा शुद्धखाना, सख्त नियमों के साथ FSSAI तैयार

FSSAI काकहनाहैकिकुछआर्गेनिककंपनियांबसनामकेलिएलेबलिंगकरदेतीहैंलेकिनफूडआर्गेनिकनहींहोताहै, उनकीजांचकीजाएगी.

Jan 03, 2019

नएसालमेंआपकोमिलेगाशुद्धखाना, सख्तनियमोंकेसाथ FSSAI तैयार

नएसालमेंखानेकीचीजोंकीसुरक्षाऔरस्वास्थ्यकोलेकरएफएसएसआईनेअपनीकमरकसलीहै.पिछलेसालकईचीजोंपरएफएसएसआईकेनएनियमआएथेलेकिनइससालवेसारेसख्तीसेलागूहोनाशुरूहोजाएंगे. दाल, आर्गेनिकफूड, शहद, चना, दलहनआदिमेंटॉक्सिकनहोऔरइनसबकीलेबलिंगऔरसर्टिफिकेशनहो, इसपरएजेंसीकेनएनियम 1 जनवरीसेलागूहोगएहैं.
इससेपहलेएफएसएसआईनेफूडपैकिंगकोलेकरभीनएनियमजारीकिएथे.एफएसएसआईनेखाने-पीनेकीचीजोंकीपैकिंगकोसेहतकेलिएऔरअधिकप्रभावशालीबनानेकेनएदिशा-निर्देशजारीकिएथे.

फर्जीऑर्गेनिकबेचनेवालोंकेखिलाफसख्तकार्रवाई

एफएसएसआईकाकहनाहैशहदऔरआर्गेनिकफूडपरनियमथेलेकिनइससालसेइनकेलिएनएनियमलागूहुएहैं.इसकेआधारपरफूडलेबलिंगसर्टिफिकेशनपरज्यादाध्यानदियाजाएगा.शहदमेंमिलावटकीखूबशिका

यतेंआरहीहैं, इसलिएशहदकेमानकोंमेंकुछबदलावकरकेनएमानकहीलागूकरदिएहैं.येसब 1 जनवरीसेलागूहोगएहैं.फलऔरसब्जियोंमेंमाइक्रोबायोलॉजिकलनहो, नएनियमइसपरभीबनेहैं.

शहदमेंमिलावट

अबअगरशहदमेंमिलावटहोतीहैऔरजांचमेंअगरयेखरेनहींउतरतेहैंतोकंपनियोंपरशिकंजाकसाजाएगा.कुछआर्गेनिककंपनियांबसनामकेलिएलेबलिंगकरदेतीहैंलेकिनफूडआर्गेनिकनहींहोताहै, उनकीजांचकीजाएगी.

साल 2018 मेंएफएसएसआईने 28 नएस्टैंडर्डकाऐलानकियाथा.फूडफॉर्टिफिकेशनऔरएडवरटाइजमेंटऔरक्लेमकेभीरेगुलेशनआएहैं.इससालउन्हेंसख्तीसेलागूकरनाहै.शराबपरजोनएनियमहैंवेएकअप्रैलसेलागूहोंगे.बाकीकंपनियोंकोनएनियमलागूकरनेकेलिएकुछमहीनोंकावक्तदियाजाएगा.

बदलीजाएगीखाने-पीनेकेसामानकीपैकिंग

सरकारजल्दहीखाने-पीनेकेसामानकीपैकिंगव्यवस्थाकोबदलनेजारहीहै.नयानियमलागूहोनेकेबादखान-पीनेकीचीजोंकीपैकेजिंगपूरीतरहबदलजाएगी.मौजूदानियमोंकेमुताबिक, खाने-पीनेकीचीजोंकीपैकेजिंगकेलिएएल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर, प्लास्टिकऔरटिनकाइस्तेमालकियाजाताहै.पैकेजिंगकीज्यादातरचीजेंसेहतकोनुकसानपहुंचातीहैं.अबपैकेजिंगमेंशरीरकोहानिपहुंचानेवालेखनिजकाइस्तेमालनहींकियाजाएगा.जिसखनिजसेकिसीभीफूडकीपैकेजिंगकीजाएगी, उसकीमात्रातयकीजाएगी.साथहीरिसाइकलकियागयाप्लास्टिकभीपैकिंगमेंप्रयोगनहींजाएगा. भारतीयमानकब्यूरो (बीआईएस) केपासपैकेजिंगकेनियमथे.बीआईएसपैकेजिंगसेज्यादालेबलिंगपरध्यानदेताहै.बीआईएसकीपैकेजिंगकेनियमअनिवार्यनहींथे.लेकिनअबएफएसएसआईकेनियमअनिवार्यहोंगे.